न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4, उन्नाव।

विशेष सत्र परीक्षण सं0–735/24,

सरकार बनाम दिनेश कुमार,

अ0सं0–1409/2020,
धारा–135 वि0 अधि0,
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट,
जिला–उन्नाव।

<u>दि0–21.08.2026</u>

पुकार कराया गया, कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली आज जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई में नियत है। परन्तु अभियुक्त उपस्थित नहीं आया है। अभियुक्त को दिनांक 01.07.2026 को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा दिनांक 31.07.2026 को भी अभियुक्त के अन्तरिम जमानत की अवधि आज दिनांक 21.08.2026 तक विस्तारित किया गया है तथा उसे आज तक अन्तरिम जमानत प्रदान किया गया था, परन्तु बार–बार पुकार पर भी अभियुक्त उपस्थित नहीं आया है। अतएवं अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत हुये प्रार्थना पत्र जमानत दिनांकित–01.07.2026 अभियुक्त की अनुपस्थिति में बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है। अभियुक्त गैर जमानतीय अधिपत्र से तलब हो। पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु दिनांक–16.09.2026 को पेश हो।

विशेष सत्र न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4,
उन्नाव।